

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग
आजमगढ़**

पत्रांक- 60801/2 विविध/आ0क्ष0/2016
सेवा में,

दिनांक-08/01/2016

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय- जनपद-जौनपुर में ग्राम-कोदहूँ, परगना-मुंगरा, तहसील-मछलीशहर, आराजी नं०-802/2 पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या-1354(3)/व०श०लि०-जौनपुर दिनांक-11 दिसम्बर, 2015।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र दिनांक-11 दिसम्बर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०, आजमगढ़ के पत्रांक-205/एन०ओ०सी०-आ०वृ०/2015 दिनांक-25.01.2016 द्वारा जनपद-जौनपुर में ग्राम-कोदहूँ, परगना-मुंगरा, तहसील-मछलीशहर, आराजी नं०-802/2 पर "इलाहाबाद-गोरखपुर राज्यमार्ग संख्या-07" (मुंगराबादशाहपुर-फूलपुर मार्ग) के कि०मी०-47 (चैनेज 200-400) में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तों एवं मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति पत्र निर्गत किया जाता है :-

1. उपरोक्त प्रस्तावित रिटेल आउटलेट जनपद-जौनपुर में ग्राम-कोदहूँ, परगना-मुंगरा, तहसील-मछलीशहर, आराजी नं०-802/2 पर "इलाहाबाद-गोरखपुर राज्यमार्ग संख्या-07" (मुंगराबादशाहपुर-फूलपुर मार्ग) के कि०मी०-47 (चैनेज 200-400) में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.87 मीटर (75 फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य न कराया जाय एवं उसके बाद ही प्रस्तावित रिटेल आउटलेट केन्द्र स्थापित किया जाय।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी का पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी० नीचा करना होगा, जिससे मार्ग की लेपित सतह पर जल जमाव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 3 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिये।
4. पानी निकासी हेतु पक्का नाला एवं पुलिया का निर्माण, निर्माणकर्ता द्वारा ही मार्ग के लेपित सतह से नीचा करना होगा; कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व आउटलेट एवं पानी निकासी के लिये ले-आउट प्लान/ड्राइंग अनुमोदित करा ली जाय।
5. मार्ग के समानान्तर रिटेल आउटलेट की पूरी चौड़ाई में 1.00 मीटर की आर०सी०सी० स्लैब के साथ नाली का निर्माण कराया जाय। यह मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.87 मीटर (75 फीट) के बाद ही होना चाहिये।
6. बफर स्ट्रिप जो न्यूनतम 3.00 मीटर की चौड़ाई में तथा जिसकी न्यूनतम लम्बाई 12.00 मीटर हो। टायलेट सेड एवं पोल आदि का निर्माण लेपित सतह के मध्य बिन्दु से 22.87 मीटर की दूरी के बाद करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की न्यूनतम लेपित सतह चौड़ाई 5.30 मीटर तथा लेपित सतह के लिये न्यूनतम 150 एम०एम० जी०एस०बी० के ऊपर डब्लू०बी०एम०/डब्लू०एम०एम० की तीन लेयर प्रत्येक लेयर की मोटाई 75.00 एम०एम० तथा टाप में 50.00 एम०एम० बी०एम० के साथ 25.00 एम०एम० एस०डी०बी०सी० की होनी चाहिये।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू०पी०रोड सा०लै०कं० एक्ट-1945 के अन्तर्गत निहित शर्तों का भी पालन करना होगा।
9. रिटेल आउटलेट से पूर्व 500 मीटर व 1.00 कि०मी० इन्ट्री एवं एक्जिट बिन्दु पर आई०आर०सी०-67 व आई०आर०सी०-एस०पी०-55 के अनुरूप साईन बोर्ड का प्राविधान किया जाय।
10. किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट स्थल से पानी की निकासी, मार्ग पर नहीं होना चाहिये। रिटेल आउटलेट परिसर के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
11. प्रत्येक दशा में एम०ओ०एस०टी०, नई दिल्ली के पत्रांक-आर०डब्लू०/एन०एच०33023/19-99डी०ओ०-3 दिनांक-31.8.2000 द्वारा जारी मानकों का पालन किया जाय।
12. कोई भी निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की भूमि पर नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।
संगनक-मानचित्र एवं समस्त अभिलेख (मूल में)।

(आर०आर० सिंह)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो०नि०वि०, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
आजमगढ़ क्षेत्र, लो०नि०वि०, आजमगढ़